सं0–27/XXVIII(1)/2006-05/2006

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
होम्योपैथी सेवाएं
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–1

देहरादून: दिनांक :14 फरवरी, 2006

विषयः राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खानपुर जनपद हरिद्वार में निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 25 प/सा0/2001–16/17 दिनांक 31 जनवरी, 2006 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2005–06 में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खानपुर जनपद हरिद्वार के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध आगणन रू0 5.477 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 4.23 लाख (चार लाख तेईस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 3.50 लाख (रू0 तीन लाख पचास हजार मात्र) के व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें हैं ।

1– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों मे जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, कि स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण स्तर के अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधन को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

6– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

7– आगणन को जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

8– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा लिया जाए तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

9– यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृत राशि से अधि कदापि व्यय न किया जाए।

10– कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

11– उक्त धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 राज्य निर्माण निगम निगम, इकाई प्रथम, हरिद्वार को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा मे इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण ऐजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा तथा किसी भी दशा मे लागत पुनरीक्षित नही की जायेगी तथा कार्य मार्च 2006 तक पूर्ण कर लिया जाए।

12– स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्राविधानों मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

13– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्गत किया गया है।

14– निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टयों मे बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

15– निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू–भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू–भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

16– उक्त भवन के कार्यो को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुरीक्षित करने की आवश्यकता न पडे ।

17– उक्त व्यय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक मे अनुदान संख्या –12 के लेखाशीर्षक 4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–03– चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–102– होम्योपैथिक–03– होम्योपैथिक चिकित्सा के मानक मद 24– वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

18– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–688/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/2006 दिनांक 10 फरवरी, 2006 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है ।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3– कोषाधिकारी, हरिद्वार।
4– जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5– परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 राज्य निर्माण निगम, इकाई प्रथम, हरिद्वार ।
6– वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
9– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
10– आयुक्त गढवाल एवं कुमायूं, पौडी/नैनीताल, उत्तरांचल।
11– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव।